

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-371

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

जल-विद्युत परियोजनाओं का विकास

*371. श्रीमती कहकशां परवीन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यदि जल-विद्युत का विकास उचित रीति और समयबद्ध तरीके से किया जाये, तो क्या देश में जल की प्रचुर रूप से उपलब्धता से ऊर्जा की कमी पूरी हो सकती है;

(ख) क्या जल-विद्युत ऊर्जा का नवीकरणीय, गैर-प्रदूषणकारी और पर्यावरण-अनुकूल स्रोत है; और

(ग) यदि हां, तो देश के लोगों के लाभ तथा देश की प्रगति के लिए जल-विद्युत का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जल-विद्युत संभाव्यता के समयबद्ध विकास हेतु क्या-क्या कदम उठाये गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"जल विद्युत परियोजनाओं का विकास" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 04.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 371 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 1978-87 के दौरान किए गए देश की जल विद्युत संभाव्यता के पुनः मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार, संस्थापित क्षमता (आईसी) के संबंध में जल विद्युत संभाव्यता का अनुमान 1,48,701 मेगावाट लगाया गया है जिसमें से 1,45,320 मेगावाट की संभाव्यता में 25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली जल विद्युत स्कीमें शामिल हैं। उपर्युक्त अभिज्ञात क्षमता में से 35,944.5 मेगावाट जल विद्युत क्षमता प्रचालनाधीन है, 13,131.3 मेगावाट जल विद्युत क्षमता निर्माणाधीन है और 63,432 मेगावाट जल विद्युत क्षमता विकास के अन्य विभिन्न चरणों में है। जल विद्युत संभाव्यता और उसके विकास का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। जल विद्युत संभाव्यता का उपयोग करने से देश में ऊर्जा की कमी को पूरा करने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी।

(ख) और (ग) : जल विद्युत, ऊर्जा का नवीकरणीय, गैर-प्रदूषणकारी और पर्यावरण के अनुकूल स्रोत है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से, केवल यही एक ऐसा नवीकरणीय स्रोत है जिसे दीर्घकालीन में किफायती माना गया है और व्यस्ततमकालीन विद्युत, लम्बे जीवनकाल, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के सृजन, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होता है, जैसे अंतर्निहित लाभों के कारण ऊर्जा का अधिमान्य स्रोत माना गया है।

जल विद्युत संभाव्यता के समयबद्ध विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार हैं:-

- (i). राष्ट्रीय विद्युत नीति: पूर्ण जल विद्युत संभाव्यता के विकास पर बल।
- (ii). नई जल विद्युत नीति, 2008: पारदर्शी बोली, लागत आधिक्य प्रशुल्क प्रणाली का विस्तार, विद्युत की व्यापारिक बिक्री, स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए 1% निःशुल्क विद्युत इत्यादि।
- (iii). केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए बार-बार स्थल दौरे करके, विकासकर्ताओं के साथ बातचीत इत्यादि करके जल विद्युत परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है।
- (iv). जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति के स्वतंत्र रूप से अनुवर्ती कार्रवाई एवं निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) की स्थापना की गई है।
- (v). विभिन्न स्वीकृतियां तथा साथ ही आधारभूत सुविधाओं संबंधी सहायता के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सीमा सड़क संगठन आदि जैसे अन्य विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/संगठनों के साथ नियमित विचार-विमर्श।

जल विद्युत परियोजनाओं का विकास" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 04.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 371 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

जल विद्युत संभाव्यता विकास की स्थिति
(25 मेगावाट से अधिक की संस्थापित क्षमता के सदर्थ में)

30.06.2014 की स्थिति के अनुसार

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अभिज्ञात क्षमता		प्रचालनाधीन क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता		विकास के विभिन्न चरणों के अधीन क्षमता		विकास हेतु क्षमता जो अभी शुरू की जानी है	
	कुल (मेगावाट)	25 मेगावाट से अधिक (मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)	(%)
उत्तरी										
जम्मू व कश्मीर	14146	13543	2669.0	19.71	1630.0	12.04	6749	49.83	2495	18.42
हिमाचल प्रदेश	18820	18540	8370.7	45.15	3153.3	17.01	3923	21.16	3093.0	16.68
पंजाब	971	971	1206.3	100	206.0	21.22	0	0.00	0	0
हरियाणा	64	64	0.0	0	0.0	0.00	0	0.00	64	100
राजस्थान	496	483	411.0	85.09	0.0	0.00	0	0.00	72	14.91
उत्तराखण्ड	18175	17998	3426.4	19.04	1640.0	9.11	3908	21.71	9023.7	50.14
उत्तर प्रदेश	723	664	501.6	75.54	0.0	0.00	0	0.00	162.4	24.46
उप जोड़ (एनआर)	53395	52263	16584.9	31.73	6629.3	12.68	14580	27.90	14468.7	27.68
पश्चिमी										
मध्य प्रदेश	2243	1970	2395.0	100	400.0	20.30	100	5.08	0	0
छत्तीसगढ़	2242	2202	120.0	5.45	0.0	0.00	60	2.72	2022	91.83
गुजरात*	619	590	550.0	100	0.0	0.00	0	0.00	0	0.00
महाराष्ट्र	3769	3314	2487.0	75.05	0.0	0.00	0	0.00	827	24.95
गोवा	55	55	0.0	0.00	0.0	0.00	0	0.00	55	100
उप जोड़ (डब्ल्यूआर)	8928	8131	5552.0	68.28	400.0	4.92	160	1.97	2019	24.83
दक्षिणी										
आंध्र प्रदेश	1981	1956	1286.8	65.78	50.0	2.56	960	49.08	0.0	0.00
तेलंगाना	2443	2404	891.0	37.06	360.0	14.98	320	13.31	833	34.65
कर्नाटक	6602	6459	3585.4	55.51	0.0	0.00	865	13.39	2008.6	31.10
केरल	3514	3378	1881.5	55.70	100.0	2.96	163	4.83	1233.5	36.52
तमिलानाडु	1918	1693	1782.2	100	0.0	0.00	500	29.53	0	0
उप जोड़ (एसआर)	16458	15890	9426.9	59.33	510.0	3.21	2808	17.67	3145.15	19.79

क्षेत्र/राज्य	पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार अभिज्ञात क्षमता		प्रचालनाधीन क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता		विकास के विभिन्न चरणों के अधीन क्षमता		विकास हेतु क्षमता जो अभी शुरू की जानी है	
	कुल (मेगावाट)	25 मेगावाट से अधिक (मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)	(मेगावाट)		कुल (मेगावाट)	25 मेगावाट से अधिक (मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
पूर्वी										
झारखण्ड	753	582	170.0	29.21	0.0	0.0	0	0.00	412	70.79
बिहार	70	40	0.0		0.0	0.0	130	100.00	0	0
ओडिशा	2999	2981	2027.5	68.01	0.0	0.0	18	0.60	935.5	31.38
पश्चिम बंगाल	2841	2829	272.2	9.62	160.0	5.6	400	14.14	1996.8	70.58
सिक्किम	4286	4248	669.0	15.75	2622.0	61.72	1208	28.44	0	0
उप जोड़ (ईआर)	10949	10680	3138.7	29.39	2782.0	26.05	1756	16.44	3003.3	28.12
पूर्वोत्तर										
मेघालय	2394	2298	282.0	12.27	40.0	1.7	924	40.21	0	0
त्रिपुरा	15	0	0.0		0.0		0	0.00	0	0
मणिपुर	1784	1761	105.0	5.96	0.0	0.0	1566	100.00	0	0
असम	680	650	375.0	57.69	0.0	0.0	180	27.69	0	0
नागालैंड	1574	1452	75.0	5.17	0.0	0.0	186	12.81	1191	82.02
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	405.0	0.81	2710.0	5.4	40812	81.52	6137	12.26
मिजोरम	2196	2131	0.0	0.00	60.0	2.8	460	21.59	1611	75.60
उप जोड़ (एनईआर)	58971	58356	1242.0	2.13	2810.0	4.8	44128	75.62	10176	17.44
अखिल भारत	148701	145320	35944.5	24.73	13131.3	9.04	63432.0	43.65	32812.2	22.58

टिप्पणी:-

1. पम्पड स्टोरेज स्कीमें शामिल नहीं हैं।
2. कुछ राज्यों में विकसित क्षमता का जोड़ और शेष क्षमता आंकी गई संभाव्यता से भिन्न है। यह स्कीमों की क्षमता में बदलाव, स्कीमों में अभिवृद्धि/स्कीमों को हटाने और दो स्कीमों को मिलाकर एक स्कीम बनाने इत्यादि कारणों से है।

* दो स्कीमों अर्थात् उकई बांध और सरदार सरोवर को 590 मेगावाट की संस्थापित क्षमता हेतु चिन्हित किया गया था। तथापि, वास्तविक स्थिति के अनुसार इसकी संस्थापित क्षमता 550 मेगावाट है।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त 9 पीएसएस (4785.6 मेगावाट) प्रचालनाधीन हैं और 2 पीएसएस (1080 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-374

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण

*374. श्री रामदास अठावले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश के विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है और कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है;

(ख) क्या सरकार द्वारा विशेषकर सभी पिछड़े गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए विशेष कार्यक्रम आरंभ किया गया है अथवा आरंभ किये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश के सभी गांवों का कब तक विद्युतीकरण कर दिये जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"ग्रामीण विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 04.08.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 374 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में बसे हुए गांवों (पिछड़े गांवों सहित) की कुल संख्या 5,96,011 है। 31.05.2014 की स्थिति के अनुसार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के अंतर्गत विद्युतीकृत 1,08,373 गांवों सहित 5,73,945 गांव विद्युतीकृत हैं। इसके अतिरिक्त 10वीं और 11वीं योजना के अंतर्गत संस्वीकृत 3,627 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण के कार्य चल रहे हैं।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने शेष सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों और 100 से अधिक जनसंख्या वाले वासस्थलों को शामिल करने के उद्देश्य से 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को जारी रखने का अनुमोदन दे दिया है। इस योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित 273 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं जिनमें पिछड़े क्षेत्रों में शामिल 12,468 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 2.31 लाख गांवों का गहन विद्युतीकरण और 1.33 करोड़ बीपीएल घरों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन देना शामिल है और इनमें पिछड़े क्षेत्र भी शामिल हैं। 12वीं योजना की ये परियोजनाएं इस समय अवाई किए जाने के विभिन्न चरणों में हैं।

(घ) : 12वीं योजना की इन परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित अवधि संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संविदा अवाई किए जाने की तारीख से 24 माह है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2684

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में विनियामकों के कार्य निष्पादन की
निगरानी

2684. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषतः तेलंगाना में समय-समय पर विद्युत क्षेत्र में विनियामकों के कार्य की निगरानी करने हेतु केन्द्र और राज्य स्तर पर समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी, नहीं । विद्युत क्षेत्र में विनियामकों के निष्पादन की निगरानी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कोई समिति गठित नहीं की गई है ।

(ग): उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2685

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

महाराष्ट्र में बिजली की कमी

2685. श्री राजकुमार धूतः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले बारह महीनों के दौरान महाराष्ट्र में चरम काल में बिजली की मांग तथा कमी का माह-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने इस राज्य में बिजली की कमी को दूर करने हेतु क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार रखती है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत बारह महीने के दौरान महाराष्ट्र में व्यस्ततम विद्युत मांग और कमी का माह-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख): विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र में सीपीएसयू के माध्यम से विद्युत संयंत्रों और पारेषण प्रणाली की स्थापना के द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती हैं। देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय आधार पर परम्परागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट और नवीकरणीय स्रोतों से 30,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि करने का लक्ष्य है। सरकार ने राज्यों को अपनी प्रत्याशित मांग आपूर्ति परिदृश्य के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विद्युत की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

12वीं योजना के दौरान, महाराष्ट्र को 11,275.5 मेगावाट का संभावित लाभ होगा जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र से 1,335.5 मेगावाट शामिल है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 04.08.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2685 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

माह	व्यस्ततम			
	व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	कमी	
			मेगावाट	%
जून, 2014*	18962	18658	304	1.6
मई, 2014	19463	18563	900	4.6
अप्रैल, 2014	19749	18585	1164	5.9
मार्च, 2014	18260	17317	943	5.2
फरवरी, 2014	19276	17621	1655	8.6
जनवरी, 2014	18427	17013	1414	7.7
दिसंबर, 2013	17560	16714	846	4.8
नवंबर, 2013	17343	16608	735	4.2
अक्टूबर, 2013	16575	15980	595	3.6
सितंबर, 2013	16621	15871	750	4.5
अगस्त, 2013	15266	14709	557	3.6
जुलाई, 2013	14412	14291	121	0.8

*अनंतिम

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2686

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है।

असम के सालाकाटी में एन.टी.पी.सी. परियोजना
के निष्पादन में विलंब का होना

2686. डॉ. टी. सुब्बाराजी रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) असम में एन.टी.पी.सी. की सालाकाटी परियोजना में तीन इकाइयों के निष्पादन हेतु लक्षित तारीख क्या है तथा इसके कब तक शुरू हो जाने की आशा है;
- (ख) निष्पादन में विलंब होने के क्या कारण हैं;
- (ग) इस परियोजना के निष्पादन में विलंब के कारण लागत में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या विलंब का एक कारण एक के बाद एक तुरंत संविदाकार को हटा दिया जाना है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) लागत और समय वृद्धि में यथाशीघ्र और कमी लाने हेतु इन इकाइयों को शुरू किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन से ठोस कदमों का सुझाव दिया जाता है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): असम में सालाकाटी में 750 मेगावाट (3x250 मेगावाट) बोंगाईगांव ताप विद्युत परियोजना के लिए, परियोजना शीघ्र चालू करने हेतु पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

(ख): बार-बार होने वाले बंद, उस क्षेत्र में हिंसक घटनाओं और क्षेत्र में भारी मानसून ने कार्य की प्रगति को प्रभावित किया है। सिविल कार्य एजेन्सियों (मैसर्स एसपीएमएल और मैसर्स पुंज लॉयड) के खराब कार्य निष्पादन के कारण भी प्रभावित हुआ। परिणाम स्वरूप इनके अनुबंध निरस्त कर दिए गए हैं।

(ग): एनटीपीसी की नीति के अनुसार, लागत वृद्धि के ब्यौरे की गणना परियोजना के पूरा होने के बाद तैयार की जाती है।

(घ): जी नहीं।

(ङ): उपर्युक्त (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(च): क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य सरकार के साथ यह मामला उठाया गया है, ताकि कार्य की प्रगति सुचारू रूप से हो सके। एनटीपीसी ने बेहतर ठेकेदारों को काम पर लगाने हेतु कदम उठाए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2687

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल गांव

2687. श्री आयनुर मंजूनाथा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण विद्युतीकरण हेतु अभी तक कितने गांवों को शामिल किया गया है;
- (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी राशि खर्च की गई है;
- (ग) क्या यह सच है कि यह योजना देश में राजस्व तथा वन गांवों की संख्या के आधार पर तैयार की गई है एवं यदि हां, तो अभी तक इस योजना के अंतर्गत उनमें से कितने वन गांवों को शामिल किया गया है; और
- (घ) वर्ष 2005 से अभी तक इस योजना का विस्तार कितने गांवों में किया गया है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 1.24 लाख गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, 6.04 लाख गांवों के गहन विद्युतीकरण और 4.08 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करने को कवर करते हुए 10वीं, 11वीं एवं 12वीं योजना के दौरान कुल 921 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

भारत सरकार ने 100 से अधिक की जनसंख्या वाले शेष सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों और वासस्थलों को कवर करने के उद्देश्य से सितंबर, 2013 में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए आरजीजीवीवाई को जारी रखे जाने को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा 21650.76 करोड़ रूपए की पूंजीगत सब्सिडी वितरित की गई थी।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा यथा प्रस्तावित, वन गांवों सहित गैर-विद्युतीकृत जनगणना/राजस्व गांवों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए कवर किया गया है।

(घ) संचयी रूप से, दिनांक 30.6.2014 की स्थिति के अनुसार, देश में 10वीं एवं 11वीं योजना के अंतर्गत 1.08 लाख गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण का कार्य और 3.08 लाख विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है तथा 2.18 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2688

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

उरी जलविद्युत परियोजना के संबंध में आपत्ति

2688. श्री जी. एन. रतनपुरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उरी जलविद्युत परियोजना ॥ के संबंध में एम.एल.ए. उरी, द्वारा व्यक्त की गई आपत्ति कि यह परियोजना जम्मू और कश्मीर सरकार से आवश्यक अनुमति लिए बिना चल रही है तथ्यों पर आधारित है;

(ख) क्या उरी की पहली तथा दूसरी विद्युत परियोजनाओं के लिए सभी अपेक्षित अनुमति प्राप्त कर ली गई है;

(ग) इन दो परियोजनाओं हेतु कितने भू-क्षेत्र की खरीद की गई है तथा मुआवजे के रूप में भुगतान की गई कुल राशि की दरें क्या हैं; और

(घ) इस राज्य में एन.एच.पी.सी. की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं हेतु कितने वन/समुदाय/राज्य/चारागाह क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है तथा इसके अधिग्रहण की शर्तें क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी नहीं, उरी जल विद्युत परियोजना-॥ जम्मू और कश्मीर सरकार तथा भारत सरकार के बीच दिनांक 20.07.2000 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में केन्द्रीय क्षेत्र में निष्पादन हेतु एनएचपीसी को सौंपी गई सात परियोजनाओं में से एक परियोजना है।

(ख) : एनएचपीसी ने संबंधित प्राधिकारियों से सभी वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के पश्चात उरी-I और उरी-II परियोजनाओं का निष्पादन किया है।

(ग) : इन दो परियोजनाओं के लिए क्रय की गई भूमि के क्षेत्र और मुआवजे के रूप में भुगतान की गई दरों तथा कुल राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

उरी-I : रिकार्ड के अनुसार उरी जल विद्युत केन्द्र के लिए अधिग्रहित की गई भूमि 249.5 हैक्टेयर है और अधिग्रहण के लिए दिया गया मुआवजा 10.44 करोड़ रुपये है। जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा यथा अनुमोदित भूमि की दर भूमि की श्रेणी के आधार पर 5000 रुपये से लेकर 34000 रुपये प्रति कनाल थी।

उरी-II : रिकार्ड के अनुसार उरी-II के लिए अधिग्रहित की गई भूमि 177.75 हैक्टेयर है और मुआवजे की राशि 49.44 करोड़ रुपये है। जम्मू और कश्मीर द्वारा यथा अनुमोदित भूमि की दर भूमि के वर्गीकरण के आधार पर 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये प्रतिकनाल तक अलग-अलग है।

(घ) : जम्मू व कश्मीर में एनएचपीसी की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित किए गए वन क्षेत्र/समुदाय/राज्य चारागाह की भूमि और इसके अधिग्रहण की शर्तों से संबंधित ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

दिनांक 04.08.2014 को उत्तरार्थ राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2688 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विद्युत परियोजनाएं	वन भूमि (हे. में)	सरकारी/ राजस्व भूमि (हे. में)	निजी भूमि (हे. में)	कुल भूमि (हे. में)	भूमि अधिग्रहण की शर्तें
उरी-I	54	55.5	2808 कनाल (140 हेक्टेयर)	249.5	<ul style="list-style-type: none"> पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने उरी परियोजना के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु अनापत्ति दे दी है । अन्य भूमियों के लिए, उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, एनएचपीसी लिमिटेड के कब्जे के लिए भूमि का अधिग्रहण जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया गया था ।
उरी-II	शून्य	57	121 हेक्टेयर	178	<ul style="list-style-type: none"> एचएचपीसी के लिए निजी और सरकारी भूमि का अधिग्रहण जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू व कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894/1934 के यथा लागू प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से किया गया था।
निम्मो बैजगो	शून्य	7272 कनाल और 02 मरला (364 हेक्टेयर)	278 कनाल और 05 मरला (14 हेक्टेयर)	378	<ul style="list-style-type: none"> चूंकि परियोजना में कोई वन भूमि शामिल नहीं थी, इसलिए राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र जम्मू व कश्मीर वन संरक्षण अधिनियम, 1997 के अंतर्गत प्राप्त किया गया था । 7272 कनाल-02 मरला भूमि राज्य भूमि से अंतरण से अधिग्रहित की गई थी । निजी भूमि का अधिग्रहण निजी भूमि की म्यूटेशन के द्वारा किया गया और 8 कनाल-13 मरला भूमि का म्यूटेशन किया गया था ।
चूटक	0	51.1757	18.62 हेक्टेयर	69.7975	<ul style="list-style-type: none"> निजी भूमि का अधिग्रहण विक्रय विलेख के माध्यम से किया गया था । जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन (जेकेपीडीसी) ने एनएचपीसी को 3.99 हे. भूमि हस्तांतरित कर दी थी । विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) से 99 वर्षों के लिए पट्टा विलेख के माध्यम से 0.4375 हे. भूमि का अधिग्रहण किया गया था ।

विद्युत परियोजनाएं	वन भूमि (हे. में)	सरकारी/ राजस्व भूमि (हे. में)	निजी भूमि (हे. में)	कुल भूमि (हे. में)	भूमि अधिग्रहण की शर्तें
					<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार ने 40 वर्ष के लिए पट्टा विलेख के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया था ।
सेवा-II	49.9475		68.6085	118.556	<ul style="list-style-type: none"> वन भूमि का अधिग्रहण जम्मू व कश्मीर वन संरक्षण अधिनियम, 1997 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया था । निजी भूमि का अधिग्रहण 99 वर्ष के पट्टे पर किया गया था ।
दुलहस्ती	1.1	75.64	127.84	204.58	<ul style="list-style-type: none"> पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दुलहस्ती परियोजना के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु अनापत्ति दे दी है । भूमि का अधिग्रहण जम्मू व कश्मीर सरकार के मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार पट्टे के माध्यम से किया गया था ।
किशनगंगा	125	146 (68 हेक्टेयर शमलात के साथ 19 हेक्टेयर अन्य प्रकार के शामिल)	108	379	<ul style="list-style-type: none"> विद्युत घर के निर्माण के लिए जम्मू व कश्मीर अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार अनिवार्य भूमि अधिग्रहण के माध्यम से विद्युत गृह स्थल में अधिग्रहण । जम्मू व कश्मीर भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बांध और जलाशय के लिए अपेक्षित भूमि के लिए उपायुक्त, बांदीपोरा की अध्यक्षता में निजी परक्राम्य समिति (पीएनसी) के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा गुरेज में बांध स्थल / आवासीय कॉलोनी में अधिग्रहण किया गया । वन स्वीकृति मिलने के पश्चात् जम्मू व कश्मीर सरकार के 2008 के आदेश संख्या-219 एफएसटी दिनांक 27.05.2008 के माध्यम से वन भूमि का हस्तांतरण ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2689

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण में पेश आ
रही समस्याएं

2689. श्री के. सी. त्यागी:

श्री प्रमोद तिवारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण को प्राकृतिक तथा मानव-निर्मित दोनों प्रकार की कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन बाधाओं पर काबू पाने हेतु कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या कार्यकाल विस्तार संबंधी कार्यों के कारण पनबिजली परियोजनाओं की परिचालन समयावधि में वृद्धि हुई है एवं यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पनबिजली परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने हेतु कौन-से अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): कठिन अवस्थिति तथा भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताओं के कारण जल विद्युत परियोजनाओं को प्राकृतिक और मानव-निर्मित दोनों तरह की कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है। जल विद्युत परियोजनाओं में झेली गई मुख्य प्राकृतिक बाधाएं प्राकृतिक आपदाएं, भू-वैज्ञानिक अनिश्चितताएं, कठिन क्षेत्र और खराब पहुंच आदि हैं। मुख्य मानव निर्मित अड़चनें भूमि-अधिग्रहण की समस्याएं, पुनर्स्थापना व पुनर्वास के मुद्दों सहित स्थानीय आन्दोलनों/विरोध आदि से जुड़ी हैं।

निर्माणाधीन कुछ जल विद्युत परियोजनाओं में झेली जा रही मुख्य अड़चनों का परियोजना-वार विवरण तथा इनसे निपटने के लिए सरकार/विकासकर्ता द्वारा उठाए जा रहे कदम अनुबंध-1 में हैं।

(ग): पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य-अवधि विस्तार कार्यों से इन परियोजनाओं की प्रचालनात्मक अवधि बढ़ी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में जिन जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य-अवधि विस्तार (एलई) कार्य पूरा किया गया है, उनका परियोजना-वार विवरण अनुबंध-॥ में दिया गया है।

(घ): मौजूदा जल विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए देश की उत्पादक यूटिलिटीया जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण का कार्य करती हैं, जिसके परिणाम-स्वरूप जल विद्युत संयंत्रों की क्षमता वृद्धि और कार्य अवधि का विस्तार हुआ है।

अनुबंध-1

"पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण में पेश आ रही समस्याएं" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 04.08.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 2689 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के सामने आने वाले मुख्य अवरोध

क्र.सं.	परियोजना/ निष्पादन एजेंसी का नाम	राज्य द्वारा चालू किए जाने की समय- सीमा (वास्तविक / अब अनुमानित)	गत्यावरोध/मुद्दे	सरकार/विकासकर्ता द्वारा उठाए गए कदम
क.	12वीं योजना के दौरान लाभ हेतु जल क्षमता-निष्पादनाधीन			
	केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	पार्वती-II एनएचपीसी	हिमाचल प्रदेश 2009-10 2016-17 (पिछड़ने की संभावना है)	- एचआरटी में खराब भूवैज्ञानिक स्थिति (टीबीएम-फेस) - ठेकेदार (मैसर्स एचजेवी) अपेक्षित प्रगति देने में सक्षम नहीं था। - मैसर्स पटेल एसईडब्ल्यू (बांध कार्य) और मैसर्स कोस्टल प्रोजेक्ट लिमिटेड (जीवा नाला कार्य) के पास नकदी की कमी।	- मैसर्स एचजेवी के साथ अनुबंध को 9.3.2012 को समाप्त कर दिया गया है और टीबीएम के भाग के लिए 13.8.2013 को मैसर्स गोम्मन-सीएमसी (जेवी) को तथा टीबीएम के भाग के लिए 21.11.2013 को मैसर्स वलेचा इंजीनियरिंग को पुनः सौंप दिया गया है। - एनएचपीसी बोर्ड ने अपनी 362वीं बैठक में खराब उपस्करों की मरम्मत और अतिरिक्त संसाधनों के उपयोग के लिए बीजी की तुलना में एलडी जारी करना विलंब के लिए अनुमोदन किया है।
2.	तपोवन विष्णुगाड एनटीपीसी	उत्तराखंड 2011-12 2016-17 (पिछड़ने की संभावना है)	- खुदाई के दौरान एचआरटी में भारी जल प्रवेश। एचआरटी में खराब भूवैज्ञानिक स्थिति के कारण टीबीएम 3 बार फंस गई। - एचआरटी पैकेज के लिए ठेकेदार प्रगति देने में सक्षम नहीं था। - ठेकेदार (मैसर्स एसएसजेवी) के गैर-निष्पादन के कारण बैराज और डिसिलटिंग चैम्बर के पैकेज में असंतोषजनक प्रगति - जून, 2013 में आकस्मिक बाढ़ (उत्तराखण्ड आपदा)	- प्रत्येक बार तकनीकी समाधान खोज किए गए। कार्यान्वित किए गए। - एचआरटी पैकेज के लिए अनुबंध को 9.1.14 को समाप्त किया गया। इसे अभी पुनः अवाई किया जाना है। - अनुबंध नवम्बर, 2010 में समाप्त हुआ और नई संविदा 18.7.2012 को अवाई की गयी है। - सरकार द्वारा ऋषिकेश से परियोजना तक राजमार्ग को पुनर्बहाल किया गया था और एनटीपीसी द्वारा परियोजना विशेष की पुनर्बहाली के कार्य किए गए।
3.	तीस्ता लो डैम-IV एनएचपीसी	पश्चिम बंगाल 2009-10 2015-16 (बेहतर प्रयास 2014-15 में 40 मेगावाट)	- एचसीसी के साथ वित्तीय कमी के कारण दिनांक 20.3.2013 से सिविल कार्य रुके हुए हैं। - गोरखा जन मुक्ति मोर्चा आन्दोलन।	- संविदा 20.5.14 को समाप्त की गयी। शेष कार्य मैसर्स एचसीसी के जोखिम एवं लागत पर शुरू किए जाने हैं।
4.	सुबानसिरी लोअर एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश असम 2010-11 2016-18 (पिछड़ने की	- डाउनस्ट्रीम प्रभाव मूल्यांकन एवं माँग का मुद्दा तथा बांध विरोधी आन्दोलनकारियों द्वारा कार्यों को रोकने की माँग 16.12.2011 से	- दिनांक 6 दिसम्बर, 2013 को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और आन्दोलनकारी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया था। इसके अलावा, बांध की

क्र.सं.	परियोजना/ निष्पादन एजेंसी का नाम	राज्य द्वारा चालू किए जाने की समय- सीमा (वास्तविक / अब अनुमानित)	गत्यावरोध/मुद्दे	सरकार/विकासकर्ता द्वारा उठाए गए कदम
		संभावना है)	आन्दोलनकारियों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन के कारण कार्य रोक दिए गए हैं ।	सुरक्षा तथा डाउन स्टीम प्रभाव से संबंधित तकनीकी मामलों पर चर्चा के लिए दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 और 2 जून, 2014 को असम के विशेषज्ञ समूह तथा भारत सरकार के विशेषज्ञों के बीच दो बैठकों का आयोजन किया गया था । यह मामला निपटान के अंतिम चरण में है ।
राज्य क्षेत्र				
5.	कशांग-II और III एचपी	हिमाचल प्रदेश 2013-14 2016-17	- लिप्पा ग्रामीणों द्वारा निरंतर आन्दोलन के कारण कार्य में विलम्ब हो रहा है ।	- यह मामला न्यायाधीन है ।
6.	न्यू उमडू एमईपीजीसीएल	मेघालय 2011-12 2015-16	- विकासकर्ता के साथ वित्तीय बाधाएं।	- विकासकर्ता द्वारा तैयार किए गए संशोधित लागत अनुमान जो अनुमोदन के अधीन हैं । कार्य के शीघ्र ही पुनः शुरू होने की सम्भावना है ।
7.	लोअर जुराला टेंजको (पूर्व एपीजेनको)	तेलंगाना 2011-13 2014-16	- रिक्लापल्ली ग्रामीणों द्वारा कार्यों को निरंतर रोके जाने के कारण कार्यों में रुकावट आई ।	
निजी क्षेत्र				
8	सोरंग हिमाचल सोरंग पावर कारपोरेशन लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश 2012-13 2015-16	- नवम्बर, 2013 माह में जल के भराव के दौरान पेनस्टाक की विफलता ।	- विकासकर्ता द्वारा खोज किए गए तकनीकी समाधान और मरम्मत कार्य प्रगति पर है ।
9	फाटा ब्यूंग मैसर्स लैंको	उत्तराखण्ड 2013-14 2016-17	- खराब भूवैज्ञानिक स्थिति । - जून, 2013 में तीव्र बाढ़ । - बाढ़ के बाद कार्य अभी शुरू किए जाने हैं। - विकासकर्ता के साथ वित्तीय कठिनाइयां।	- विकासकर्ता शीघ्र ही पुनर्बहाली कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं
10	सिंगोली भटवारी मैसर्स एल एण्ड टी	उत्तराखण्ड 2015-16 2016-17	- एचआरटी में खराब भूवैज्ञानिक स्थिति । - जून 2013 में तीव्र बाढ़ (उत्तराखण्ड आपदा) । - विकासकर्ता के साथ वित्तीय कठिनाइयां ।	- विकासकर्ता शीघ्र ही पुनर्बहाली कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं ।
11	महेश्वर एसएमएचपीसीएल	मध्य प्रदेश 2001-02 2015-17 (बेहतर प्रयास 2014-15 में 120 मेगावाट)	- नकद प्रवाह समस्या । - पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास मामले।	- सरकार कार्यों को पुनः शुरू करने के तरीकों की खोज कर रही है ।
12	तीस्ता-III	सिक्किम	- पुल का टूटना ।	- भारी पैकेजों के परिवहन के लिए पुल का पुनः

क्र.सं.	परियोजना/ निष्पादन एजेंसी का नाम	राज्य द्वारा चालू किए जाने की समय- सीमा (वास्तविक / अब अनुमानित)	गत्यावरोध/मुद्दे	सरकार/विकासकर्ता द्वारा उठाए गए कदम
	तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल)	2011-13 2014-16	- सितम्बर, 2011 में सिक्किम में भूकम्प । - विकासकर्ता के साथ वित्तीय कठिनाइयां ।	निर्माण ।
13	तीस्ता-VI लैंको	<u>सिक्किम</u> 2012-13 2016-17	- एचआरटी में खराब भूवैज्ञानिक स्थिति । - विकासकर्ता के साथ वित्तीय कठिनाइयां ।	- प्रत्येक बार तकनीकी समाधान खोजा गया । कार्यान्वित किया गया ।
ख	12वीं योजना के बाद लाभों के लिए जल क्षमता-निष्पादनाधीन			
	केन्द्रीय क्षेत्र			
14	लता तपोवन एनटीपीसी	<u>उत्तराखण्ड</u> 2017-18 2018-19	- जून, 2013 में तीव्र बाढ़ (उत्तराखण्ड आपदा)। - ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन के कारण बैराज और एचआरटी के कार्य अभी शुरू किए जाने हैं । - निर्माण कार्य दिनांक 7.5.2014 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा रोक दिया गया था ।	- सरकार द्वारा ऋषिकेश से परियोजना तक के राजमार्ग को तैयार किया गया और परियोजना विशेष की पुनर्बहाली का कार्य एनटीपीसी द्वारा किया गया था। - यह मामला न्यायाधीन है ।
	राज्य क्षेत्र			
15	शाँगटाँग करचम एचपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड	<u>एचपी</u> 2017-18 2017-18	- सेना द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के भीतर होने वाले निर्माण कार्यों के मामले से परियोजना के कुछ भाग का निर्माण प्रभावित हो रहा है ।	- यह मामला न्यायाधीन है ।

जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में आने वाली समस्याओं के बारे में राज्य सभा में दिनांक 04.08.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2689 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूरी की गई जीवन विस्तार योजनाओं की राज्य-वार सूची

31.03.2014 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	परियोजना, एजेंसी	परियोजनाओं / केन्द्रीय क्षेत्र (सीएस) / राज्य क्षेत्र (एसएस) की श्रेणी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट) में	अनुमानित लागत (अनंतिम) (करोड़ रुपये में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)	मेगावाट के रूप में लाभ	प्रचालनात्मक समयावधि में वृद्धि (जीवन विस्तार)	समाप्ति वर्ष
पूरी हुई योजनाएं								
महाराष्ट्र								
1	कोयना स्टेज III, एमएसपीजीसीएल	राज्य क्षेत्र	4x80	16.65	5.79	320	20 वर्ष से अधिक	2011-12
मेघालय								
2	उमियम स्टेज II, एमईएसईबी	राज्य क्षेत्र	2x9	90.46	(31.03.12 की स्थिति के अनुसार)	18.00	35 वर्ष	2011-12
ओडीशा								
3	रंगाली यूनिट-1 ओएचपीसी	राज्य क्षेत्र	1x50	47.50	36.76 (30.06.12 की स्थिति के अनुसार)	50	20 वर्ष से अधिक	2012-13
4	रंगाली यूनिट-2 ओएचपीसी	राज्य क्षेत्र	1x50	25.2 (लगभग)	20.73	50	20 वर्ष से अधिक	2013-14
हिमाचल प्रदेश								
5	बस्सी, एचपीएसईबी	राज्य क्षेत्र	4x16.5	119.83	155.42 (28.02.14 की स्थिति के अनुसार)	60	35 वर्ष	2013-14
उप जोड़						498		
चालू योजनाएं - कार्यान्वयन के अधीन								
जम्मू एवं कश्मीर								
6	चेनानी, जेएण्डकेएसपीडीसी	राज्य क्षेत्र	5x4.66	34.94	7.09 (30.09.13 की स्थिति के अनुसार)	23.30	20 वर्ष से अधिक	2014-15
7	गांदरबल, जेएण्डकेएसपीडीसी	राज्य क्षेत्र	2x3+ 2x4.5	34.65	9.51 (30.09.13 की स्थिति के अनुसार)	9.00	20 वर्ष से अधिक	2014-15
उत्तराखण्ड								
8	पथरी, यूजेवीएनएल	राज्य क्षेत्र	3x6.8	113.25	49.05 (30.11.13 की स्थिति के अनुसार)	20.40	20 वर्ष से अधिक	2014-15
केरल								
9	सबीरगिरी, केएसईबी यूनिट-4	राज्य क्षेत्र	1x60	52.2	49.79 (30.06.13 की स्थिति के अनुसार)	5	35 वर्ष	2014-15
तमिलनाडु								
10	पेरियार, टेनपेडको	राज्य क्षेत्र	3x42+ 1x35	161.18	127.82 (31.03.14 की स्थिति के अनुसार)	140.00	20 वर्ष से अधिक	2014-15
पश्चिम बंगाल								
11	जलढाका स्टेज I, डब्ल्यूबीएसईबी	राज्य क्षेत्र	3x9	88.62	76.04 (30.09.13 की स्थिति के अनुसार)	27.00	20 वर्ष से अधिक	2014-15
असम								
12	खानडोंग, नीपको	केंद्रीय क्षेत्र	2x25	25.05	16.34 (31.03.13 की स्थिति के अनुसार)	50.00	20 वर्ष से अधिक	2014-15
उप जोड़						274.7		
योग						772.7		

संक्षिप्तीकरण एलई - जीवन विस्तार; एमडब्ल्यू - मेगावाट; सीएस- केन्द्रीय क्षेत्र; एसएस- राज्य क्षेत्र

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2690

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

बी.बी.एम.बी. की गतिविधियां

2690. श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) का एक अस्पताल तलवाड़ा में और एक अस्पताल नांगल, पंजाब में है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये अस्पताल विशाल भवन एवं मशीनों आदि के बावजूद जनता की संतुष्टि के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं;

(ग) सरकार इन अस्पतालों की कार्य पद्धति में सुधार लाए जाने हेतु कौन-से कदम उठा रही है;

(घ) क्या तलवाड़ा में काफी संख्या में फ्लैटों का निर्माण किया गया था जो वर्तमान में खाली पड़े हुए हैं; और

(ङ) क्या सरकार सार्वजनिक रूप से इन फ्लैटों की नीलामी करने की योजना बना रही है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ ।

(ख) और (ग) : जी, नहीं । ये अस्पताल बीबीएमबी के कर्मचारियों के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्र की आम जनता को उनकी संतुष्टि के अनुरूप सभी उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं । यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि तलवाड़ा अस्पताल प्रतिमाह लगभग 5000 रोगियों को ओपीडी सेवाएं प्रदान

कर रहा है । इसी प्रकार, नंगल अस्पताल ने पिछले वर्ष लगभग 1 लाख रोगियों को ओपीडी सेवाएं, 9000 रोगियों का अंतरंग सेवाएं प्रदान की हैं और 1890 प्रसव कराए हैं ।

तथापि, नंगल और तलवाड़ा के बीबीएमबी अस्पतालों में आर्थो, एनेस्थीसिया तथा रेडियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है । इस मामले को भागीदार राज्य सरकारों/स्वास्थ्य विभागों के साथ उठाया गया है कि वे उनके हिस्से के कोटे के अनुसार डॉक्टरों की तैनाती करें, किन्तु इसका कोई फलदायी परिणाम नहीं निकल सका है । इसके अतिरिक्त, संविदा अधार पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू भी आयोजित किए गए थे ।

(घ) : ब्यास बांध परियोजना तलवाड़ा के निर्माण के समय वर्ष 1962-65 के दौरान बीबीएमबी के विभिन्न प्रकार के लगभग 3902 स्थायी घरों का निर्माण किया गया था, ताकि इसमें कार्यरत कामगारों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आवासीय मकान उपलब्ध कराए जा सकें । इस समय, लगभग 678 घर खाली पड़े हैं ।

(ङ) : भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय के विद्यमान नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार, विभाग सरकार अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित सांविधिक प्राधिकरणों के स्वामित्ववाली भूमि की बिक्री अथवा दीर्घावधि पट्टे के प्रत्येक मामले में मंत्रिमंडल का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करेगा । केन्द्र सरकार को बीबीएमबी से ऐसे घरों की नीलामी के लिए, अभी तक, कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2691

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है।

एन.टी.पी.सी. द्वारा कोयले का आयात

2691. श्री बलविंदर सिंह भुंडर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एन.टी.पी.सी. द्वारा झारखण्ड, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में अपने आबद्ध खानों से कोयला उत्पादन में अनुचित विलंब किया जाता है;
- (ख) क्या इस विलंब के कारण एन.टी.पी.सी. कोयले के आयात हेतु भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च कर रहा है;
- (ग) एन.टी.पी.सी. द्वारा कितने प्रतिशत कोयला आयात किए जाने की आवश्यकता है तथा आयात की लागत कितनी है;
- (घ) एन.टी.पी.सी. के आबद्ध खानों से कोयला उत्पादन में विलंब के राज्य-वार तथा खान-वार कारण क्या हैं; और
- (ङ) इन खानों से उत्पादन में तेजी लाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं तथा कब तक इसे कार्यान्वित किया जाएगा एवं उत्पादन शुरू हो जाएगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2013-14 के दौरान 10.8 मिलियन मीट्रिक टन आयातित कोयले की खरीद की गई थी (जोकि घरेलू कोयला आपूर्ति का लगभग 7.23% था), जिसकी लागत लगभग 7078 करोड़ रूपए है।

(घ) झारखण्ड में स्थित पाकड़ी-बड़वाडीह, चट्टी-बरिआतू और केरनदारी कोयला ब्लाकों के लिए देरी का कारण राज्य में कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति, भूमि अधिग्रहण में देरी, 30 वर्षों से कम के लिए वन भूमि और सरकारी भूमि पर आबादी (स्कवैट्स) से संबंधित राज्य सरकार की नीति का अभाव रहा है।

छत्तीसगढ़ के तलाईपल्ली कोयला ब्लाक से उत्पादन में देरी, आर एंड आर योजना के अनुमोदन में देरी, सरकारी भूमि का हस्तांतरण तथा राज्य सरकार द्वारा माइनिंग लीज के अनुमोदन के कारण हुई है। ओडिशा के दुलंगा कोयला ब्लाक को पहले 'नो-गो-एरिया' में रखा गया था तथा अगस्त, 2011 में इसे 'नो-गो-एरिया' से अनापत्ति दी गई, जिससे आगे की कार्रवाई में देरी हुई।

(ङ) इन मुद्दों का शीघ्र समाधान करने के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है। इन कोयला ब्लाकों से दिसंबर, 2015 से जून, 2016 तक कोयला आपूर्ति का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2692

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

राज्यों द्वारा ग्रिड से बिजली की अत्यधिक
निकासी

2692. श्रीमती वानसुक साइम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी राज्यों द्वारा ग्रिड से बिजली की अत्यधिक निकासी के कारण पिछले माह के दौरान दिल्ली को बार-बार बिजली कटौतियों का सामना करना पड़ा;

(ख) क्या उत्तर क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र ने ग्रिड सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर केंद्रीय सरकार तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) क्या उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास स्वचालित मांग प्रबंधन योजना है जो निश्चित दायरे के अंदर 'ग्रिड फ्रीक्वन्सी बैंडविड्थ' की देखरेख करता है; और

(घ) क्या सी.ई.आर.सी. ने यह आदेश जारी किया है कि उत्तरी ग्रिड में दिल्ली के अलावा अन्य राज्य भी ऐसी प्रणाली स्थापित करें?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): जी नहीं। हालांकि 30 मई, 2014 को दिल्ली में आए तूफान जिससे पारेषण और वितरण प्रणाली प्रभावित हुई थी, के कारण दिल्ली में बिजली की कटौती रही।

(ख): उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (एनआरएलडीसी) ने ग्रिड सुरक्षा से संबंधित अपनी ओर से तीन याचिकाएं जिनमें एक आटोमैटिक मांग प्रबंधन प्रणाली शामिल है, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष दायर की हैं।

(ग) और (घ): जी हां।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2693

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

हरदुआगंज तथा ओबरा टी.पी.एस. की इकाइयों
की सेवा समाप्त हो जाना

2693. श्री अम्बेथ राजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज टी.पी.एस. (इकाई-5) तथा ओबरा टी.पी.एस. (इकाई 1,2,7,8) की सेवा समाप्त हो जाएगी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन इकाइयों की सेवा समाप्त हो जाने के कारण इस योजना अवधि के दौरान 338 मेगावाट विद्युत की कमी होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कमी से निजात पाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, 12वीं योजना अवधि के दौरान लगभग 4000 मेगावाट क्षमता की सेवा समाप्ति के लिए पहचान की गई है, जिसमें से 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उत्तर प्रदेश में 338 मेगावाट की सेवा समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हरदुआगंज टीपीएस (यूनिट-5) में 60 मेगावाट और ओबरा टीपीएस (यूनिट-1,2,7 व 8) में 278 मेगावाट शामिल है।

(ग) से (ङ.): 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 88,537 मेगावाट की अखिल भारतीय उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य में उत्तर प्रदेश में स्थित 4,730 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि शामिल है। उत्तर प्रदेश में आयोजित क्षमता अभिवृद्धि से, प्रस्तावित सेवा समाप्ति का राज्य की विद्युत की आपूर्ति की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, बाजार में पर्याप्त अनिर्धारित क्षमता उपलब्ध है और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को अपने प्रत्याशित मांग और आपूर्ति परिदृश्य के आधार पर अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत की व्यवस्था करने की सलाह दी है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2694

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विकेन्द्रीकृत वितरित
उत्पादन परियोजनाएं

2694. श्री जेसुदासु सीलम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए वर्तमान में कितनी विकेंद्रित वितरित उत्पादन (डीडीजी) परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या सरकार की योजना राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु डीडीजी दिशानिर्देशों में संशोधन करने की है;

(ग) 100 लोगों से कम आबादी वाले कितने गांव बिजली से वंचित हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास इन गांवों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क): डीडीजी के तहत 164 परियोजनाएं चालू की गई हैं और इस समय प्रचलित हैं। ये सभी परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रही हैं।

(ख): डीडीजी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गति लाने के लिए, आरईसी (नोडल एजेंसी) ने कार्यान्वयन एजेंसियों, परियोजना विकासकर्ताओं इत्यादि के साथ कार्यशालाओं/विचार-विमर्श का आयोजन किया। तदनुसार, पणधारियों के फीडबैक/सुझावों के आधार पर डीडीजी दिशानिर्देशों में कुछ संशोधन किए गए थे।

(ग) और (घ): राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन डीडीजी में केवल उन गांवों और वास स्थलों पर विचार किया जाता है जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक है। डीडीजी दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा समय में 100 से कम जनसंख्या वाले गांवों/खेड़ों को डीडीजी योजना में शामिल नहीं किया जाता और इनका कार्यान्वयन एमएनआरई द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2695

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों के पास कोयला भंडार

2695. श्री पी. भट्टाचार्य:

श्री के. सी. त्यागी:

श्री देवेदर गौड टी.:

श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में ताप विद्युत संयंत्रों हेतु कुछ ही दिनों का कोयला भंडार है;

(ख) यदि हां, तो इतनी कम मात्रा में कोयला रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे एक सप्ताह के बाद विद्युत उत्पादन में बाधा नहीं आएगी;

(घ) साधारणतया विद्युत संयंत्रों में कितनी मात्रा में कोयले का भंडार रखा जाता है; और

(ङ) ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता की स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): दिनांक 29 जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दैनिक आधार पर निगरानी किए गए कोयला आधारित विद्युत केन्द्रों में से 22 विद्युत संयंत्र ऐसे हैं जिनके पास 4 दिन से कम का कोयला स्टॉक है। विद्युत संयंत्रों में कोयले के कम स्टॉक के अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारण हैं-

(i) कम मानसून के कारण जल विद्युत उत्पादन काफी कम हो गया है, इस प्रकार कोयला आधारित केन्द्रों से उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक हो गया है। इसके कारण, कोयले की मांग में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, जून, 2014 के दौरान, पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में कोयला आधारित उत्पादन में 20.35% की रिकार्ड वृद्धि हुई थी।

(ii) कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनियों से कोयले की आपूर्ति में राज्य स्तर पर कानून एवं व्यवस्था, परिवहन की उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारणों से कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

(ग): संकटग्रस्त संयंत्रों में उत्पादन को बनाये रखने के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ): विद्युत स्टेशनों में कोयले का स्टॉक रखने के लिए मानदंड इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	स्थान	स्टॉक रखने के मानदंड (दिनों में)
(i)	पिट-हेड स्टेशन	15
(ii)	कोयला खान से 500 किलोमीटर की दूरी तक	20
(iii)	कोयला खान से 1000 किलोमीटर की दूरी तक	25
(iv)	कोयला खान से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी	30

(ड.): दिनांक 29.07.2014 की स्थिति के अनुसार, सीईए द्वारा निगरानी किए जा रहे ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की उपलब्धता 9.88 मिलियन टन (एमटी) है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2696
जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

वितरण कम्पनियों के लिए राजसहायता

2696. डॉ. के. पी. रामालिंगमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वितरण कम्पनियों को 6000 करोड़ रुपए की राज-सहायता देने और देश भर की रुकी हुई गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता एवं उपयोगिता में सुधार लाने के लिए कोई वित्तीय पुनर्संरचना पैकेज देने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजसहायता घटक से राज्य की वितरण कम्पनियों को एक बफर के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिपूर्ति मिल पाएगी ताकि वे उच्च दर पर विद्युत को खरीद सकें और उपभोक्ताओं को कम दर पर बेच सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : लगभग 18800 मेगावाट की पाइपलाइन से जुड़ी, पहले ही चालू की जा चुकी गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता या तो अधिकतम से कम क्षमता पर प्रचालित की जा रही है अथवा गैस के उपलब्ध न होने के कारण पूर्णतः बेकार पड़ी हुई है। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए वितरण कंपनियों को कोई सब्सिडी देने अथवा वित्तीय पुनर्गठन पैकेज उपलब्ध करवाने के बारे में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2700

जिसका उत्तर 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है ।

हर दिन चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति

2700. श्री पंकज बोरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सभी परिवारों को हर दिन चौबीस घंटे बिजली प्रदान करने का लक्ष्य है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आता है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करने के लिए किए गए प्रयासों का अनुपूरण करती है।

देश की सम्पूर्ण विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत प्रणाली के विकास के लिए एकीकृत सोच का अनुवर्तन किया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 18वें इलेक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार विद्युत की प्रक्षेपित मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 30,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वृद्धि की योजना बनाई गई है। इसी के अनुरूप, विद्युत की निकासी के लिए 1,07,440 सर्किट किलोमीटर के पारेषण नेटवर्क तथा 2,82,750 एमवीए की पारेषण क्षमता की योजना भी बनाई गई है। केन्द्रीय सरकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) एवं पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के माध्यम से वितरण नेटवर्क का अनुपूरण करती है। केन्द्रीय सरकार, राज्यों को उनके उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करने की स्कीमें तैयार करने में भी मदद करती है।
